

**कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)  
आदेश**

क्रमांक / 364 / प्र.जि.म. / 2020

दुर्ग दि. 15.04.2020

कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालयीन आदेश क्रमांक 360 / प्र.जि.म. / 2020 दुर्ग, दिनांक 14.04.2020 द्वारा सम्पूर्ण दुर्ग राजस्व जिला अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 (1) अन्तर्गत आदेश पारित किया गया है ।


जिले के नगरीय क्षेत्रों में लॉक डाउन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक हो गया है कि उक्त आदेश के तहत दिये गये छूट में सीमित समय हेतु कटौती की जावे । अतः मैं अंकित आनंद, जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग यह आदेश करता हूँ कि दिनांक 16.4.2020 को शाम 6:00 बजे से दिनांक 19.04.2020 की मध्य रात्रि तक दुर्ग जिले के नगरीय क्षेत्रों में केवल निम्न अत्यावश्यक सेवाओं की छूट रहेगी :-

1. मेडिकल स्थापना, मेडिकल दुकान एवं एम्बुलेंस
2. पेट्रोल पम्प
3. गैस एजेंसियों
4. मीडिया संस्थान
5. पेयजल सुविधाएँ
6. सिवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्थाएँ
7. फायर ब्रिगेड
8. टेलीफोन एवं इंटरनेट सुविधाएँ
9. मिल्क पार्लर एवं डेयरी
10. राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुड्स एवं कैरियर सेवाएँ
11. नगरीय प्रशासन एवं जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही अत्यावश्यक नागरिक सेवाएँ
12. राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के समस्त कार्यालय एवं उपक्रम



आदेश की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी ।

इस आदेश का उल्लंघन आई पी.सी. की धारा-188 अन्तर्गत दण्डनीय होगा ।

  
कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी,  
दुर्ग (छ.ग.)  
**जिला दण्डाधिकारी**  
दुर्ग

पृ.क्रमांक / 364 / प्र.जि.म. / 2020  
प्रतिलिपि :-

दुर्ग दि. 15.04.2020

1. आयुक्त दुर्ग, संभाग दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित प्रेषित।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग
4. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दुर्ग / धमधा / पाटन / छावनी / भिलाई नगर
5. आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग / भिलाई / भिलाई-चरोदा / रिसाली
6. मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
कुम्हारी / अहिवारा / जामुल / धमधा / पाटन / उत्तई
7. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, दुर्ग / धमधा / पाटन  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेसित।

  
कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी,  
जिल्दुर्ग (छावनी) कारी  
दुर्ग